

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2005

(आयकर)

का.आ. 1678(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ड.क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज निवेशक संरक्षण निधि न्यास”, महिन्द्रा टावर्स, ‘ए’ रकंध प्रथम तल, आर.बी.सी. वोरली, मुम्बई-400018 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया, लिमिटेड, भारत में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण निधि के रूप में कथित खंड के प्रयोजनों हेतु विनिर्दिष्ट करती है ।

[अधिसूचना सं. 253/2005/फा. सं. 178/71/2000-आयकर नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव